संख्या-1132/1-10-2014-12(39)/13

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2015

विषय: वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत के लिए शासनादेश संख्या–3379/1–10–2013–12(39)/2013, दिनांक 08.11.2013 द्वारा लोक निर्माण विभाग के 36 सड़कों की मरम्मत हेतु जनपद लखनऊ को रू0 2,70,68,500/– की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अग्रेत्तर शासनादेश संख्या–3670/1–10–2013–12(39)/2013, दिनांक 27.12.2013 द्वारा जनपद लखनऊ को वर्ष 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग की 07 सड़कों की मरम्मत हेतु रू0 1,27,09,000/– की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पत्र संख्या-183/सी0आर0ए0 (आपदा)/एस0आर0एम0डी0/ 2014, दिनांक 15.12.2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये लोक निर्माण विभाग के 43 सड़कों हेतु द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि **कुल रू0 3,91,02,500/- (रूपये तीन करोड़ इक्यानबे लाख दो हजार पाँच सौ मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	कार्यों/परियोजनाओं का विवरण	द्वितीय किश्त की धनराशि (लाख में)
1	2	3
1	बनी–मोहनलालगंज–गोसाईगंज रोड	5.435
2	सीतापुर मार्ग से फैजुल्लागंज अल्ताबखेड़ा टिकवानाला धतिगरा मार्ग	6.00
3	लखनऊ कुर्सी महमूदाबाद मार्ग से अधारखेड़ सम्पर्क मार्ग	9.90
4	लखनऊ बिजनौर बन्थरा मार्ग	0.30
5	बिजनौर पिपरसंड से नटकुर चन्द्रावल कैनाल पतरी से मकदूमपुर कैथी सम्पर्क मार्ग	5.25
6	बी0एम0जी0 मार्ग से भट्टी बरकतनगर मार्ग	15.75
7	बनी मोहान मार्ग	19.535

8	बिजनौर से सिसण्डी मार्ग	5.40
9	गंगागंज नगराम मार्ग में पुलिया की पुर्नस्थापना	6.00
10	एल0बी0 मार्ग काली पश्चिम से जगतखेड़ा सम्पर्क मार्ग	7.91
11	बिजनौर गहरू पिपरसण्ड में क्षतिग्रस्त पुलिया की पुनर्स्थापना	7.50
12	अल्लूनगर डिगुरिया सम्पर्क मार्ग	12.625
13	रूसैनाबाद मार्ग से झाबेरिया मार्ग	5.00
14	नरहरपुर मार्ग से फर्रूखाबाद प्राइमरी स्कूल होते हुये सैदापुर तक	9.50
15	बस्तीया से बल्दीखेड़ वाया रतियामऊ सम्पर्क मार्ग	5.08
16	बी0एम0जी0 रोड से सिथौलीकलां सम्पर्क मार्ग	3.75
17	लखनऊ नगराम मार्ग से ददुरी सम्पर्क मार्ग	6.00
18	भौरा पुल से टिकराजुगराजपुर	5.950
19	बिजनौर से इथुरिया वाया असरफनगर मार्ग	6.00
20	एल0बी0 रोड से ठाकुरखेड़ा सम्पर्क मार्ग	5.00
21	गंगागंज नगराम मार्ग से जौखण्डी मार्ग	12.50
22	लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग	9.00
23	जौखण्ड खेमखेड़ा मार्ग में पुलिया की स्थापना	11.00
24	गोसाईगंज गौरीकला मार्ग से धौरहरा सम्पर्क मार्ग	10.00
25	मोहम्मदपुर गड़ही से गोमीखेड़ा सम्पर्क मार्ग	8.00
26	लखनऊ नगराम मार्ग से पेरेहटा मार्ग	5.10
27	बी0एम0जी0 मार्ग से सथवाड़ा मार्ग	7.00
28	एल0एस0 मार्ग से मझिगवां सम्पर्क मार्ग	5.265
29	लखनऊ नगराम मार्ग से मलाक हरिहरपुर मार्ग	5.175
30	लखनऊ नगराम मार्ग से मोइउद्दीनपुर मार्ग	5.395
31	बोरौली सम्पर्क मार्ग	5.270
32	दयालपुर सम्पर्क मार्ग	5.985
33	हरखपुर तिरगॉव पर पुल के पहुंच तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग	6.20
34	एल0बी0 रोड से हुलास खेड़ा से कुम्भारा से सम्सीमार्ग	7.810
35	हसनपुर सम्पर्क मार्ग	6.245
36	काटा करौदी सम्पर्क मार्ग	6.105
37	लखनऊ–नगराम–निगोहा के कि0मी0 23 से 27 में बोगी ऐक्शन मरम्मत का कार्य।	14.83
38	सिसेण्डी–गौतमखेड़ा–मदाखेड़ा मार्ग। (किमी0 1,2,3,7,8 व 10)	42.38
39	लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग से सलेमपुर सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का कार्य।	12.50
40	लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग से आपदमपुर–नौबस्ता मार्ग।	14.85
41	माती परवर पश्चिम से राय सिंह खेड़ा नहर पुलिया वाया सामुदायिक केन्द्र हास्पिटल	15.73

42	लखनऊ वाराणसी मार्ग से पुरसैनी सम्पर्क मार्ग।	6.925
43	मुंशीगंज–केवली–बधौली से अस्ती मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुननिर्माण कार्य। 01 नगर पुलिया।	19.875
	योग	391.025

1– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '' 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा ।

2- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

4- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

5- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

6- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

9- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,
27/1/15
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:1132(1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
5- प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेवसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।